RNI No. MAHBIL /2009/31730

# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ३] मंगळवार, मार्च १०, २०१५/फाल्गुन १९, शके १९३६ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

**असाधारण क्रमांक ४**

**प्राधिकृत प्रकाशन**

**अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)**

**महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय**

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १० मार्च २०१५ ई. को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

**L. A. BILL No. II OF 2015.**

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT AND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS, NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965.

**विधानसभा का विधेयक क्र. २ सन् २०१५ ।**

**महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन संबंधी विधेयक।**

**क्योंकि** राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

**और क्योंकि** महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ;

सन् १९४९ का ५९।

सन् १९६५ का महा. ४०।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १८ ।

**और, इसलिए,** महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१४, ३१ दिसंबर २०१४ को प्रख्यपित किया गया था ;

**और क्योंकि,** उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है, इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

## अध्याय-एक

## प्रारम्भिक।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

**१.** (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

(२) यह ३१ दिसंबर, २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

## अध्याय-दो

## महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४९ के ५९ की धारा ५ में संशोधन ।

**२.** महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की, उप-धारा (३) में, " यथा संभव शीघ्र निर्वाचित करें " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " उनके प्रभाग में निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की संख्या " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, " केवल एक पार्षद निर्वाचित करें " शब्द रखे जायेंगे । सन् १९४९ का ५९।

## अध्याय-तीन

## महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन् १९६५ का महा. ४० की धारा १० में संशोधन ।

**३.** महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की, धारा १० की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात :— सन् १९६५ का ४०।

" (२) प्रत्येक प्रभाग में से केवल एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा। "।

## अध्याय-चार

## विविध।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

**४.** (१) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, इस अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उदभूत हो तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उदभूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अन्संगत कोई निदेश दे सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो । सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का ४०।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदनों के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १८ का निरसन तथा व्यावृत्ति ।

**५.** (१) प्रख्यापित महाराष्ट्र नगर निगम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १८।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत), इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित सुसंगत अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी। सन् १९४९ का ५९। सन् १९६५ का महा. ४०।

**उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।**

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ की उप-धारा (३) और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की धारा १० की उप-धारा (२), महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २६ सन् २०११ के अधिनियमितिकरण के पूर्व, यह उपबंध करती है कि, नगर निगम या परिषद के प्रत्येक प्रभाग में से केवल एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों में, महिलाओं के लिए पार्षदों के आधे सीटों का उचित रीत्या आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २६, सन् २०११ द्वारा सन् १९४९ तथा सन् १९६५ के उक्त अधिनियमों के संशोधन द्वारा एक बहुसदस्य प्रभाग प्रणाली पुनर्स्थापित की गई थी। सन् २०११ के उक्त अधिनियम द्वारा, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ५ की उप-धारा (३) संशोधित की गई थी, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक प्रभाग यथासंभव शीघ्र दो पार्षदों को परंतु वे दो से कम न हो और तीन पार्षदों से अधिक न हो, निर्वाचित किये जायेंगे और प्रत्येक मतदाता, उसके प्रभाग में निर्वाचित किये जानेवाले पार्षदों की संख्या के समान मत देने के हकदार होंगे । समान प्रयोजन के लिए भी, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ की धारा १० की उप-धारा २, सन् २०११ का उक्त महाराष्ट्र २६ द्वारा संशोधित की गयी है, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि, प्रत्येक प्रभाग मे से, यथासंभव शीघ्र चार पार्षदों परंतु वे तीन से कम न हो और पाँच पार्षदों से अधिक न हो निर्वाचित किये जायेंगे और प्रत्येक मतदाता, उसके प्रभाग में निर्वाचित किए जाने वाले पार्षदों की संख्या के समान मत देने के हकदार होंगे।

२. तथापि, यह देखा गया है कि, निगम या, यथास्थिति, परिषद के प्रत्येक प्रभाग से दो या अधिक पार्षदों के निर्वाचन के कारण, प्रभाग के प्रभावी प्रशासन के लिए एक से अधिक व्यक्ति जिम्मेवार हुई थी और प्रभाग में विकास योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ था । इसलिए, नगर निगमों या परिषदों के प्रत्येक प्रभाग में केवल एक पार्षद निर्वाचित किये जाने के पूर्वतर उपबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिये, उक्त नगर विधियों में संशोधन करना इष्टकर समझा गया था।

३. राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) में अधिकतर संशोधन करने कि लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (सन् २०१४ का महा. अध्यादेश १८) ३१ डिसेंबर, २०१४ को प्रख्यापित किया गया था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई, **देवेंद्र फडणवीस,**

दिनांकित २ मार्च २०१५। मुख्यमंत्री।

**प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।**

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्गस्त है, अर्थात् :—

**खंड ४.——** इस खंड के अधीन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के उपबंधों को प्रभावित करने में उद्‌भूत किसी कठिनाई को **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

**२.** विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपर्युक्त प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद)

**स. का. जोंधळे,**
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

**विधान भवन :**
मुंबई,
दिनांकित १० मार्च २०१५।

**डॉ. अनंत कळसे,**
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.